कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 26.11.2023</u>

<u>परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुए राजी-</u>

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझाबुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

<u>परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-</u> महिला थाना प्रभारी श्रीमती अनीता यादव,श्री गंगाधर शुक्ल,श्री यशोदा नंदन त्रिपाठी, श्रीमती संतोष कुमार ओझा, श्रीमती साक्षी अरोड़ा, श्री राजमंगल मौर्या, म0का0 अर्चना मौर्या, म0का0 शाहिना बानो आदि मौजूद रही।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 26.11.2023

पति-पत्नी के 04 साल पुराने परिवारिक विवाद को थाना कटराबाजार पुलिस ने कराया खत्म, पति-पत्नी एक साथ रहने को हुए राजी-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना व चौकी पर प्रतिदिन जनसुनवाई करने के निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने जनसुनवाई के दौरान आज दिनांक 26.11.2023 को पीड़िता रहबरी बेगम पत्नी सय्यद खां और पति सैयद खां नि0 मोहम्मद पुर थाना कटरा बाजार (पति_पत्नी) के मध्य लगभग 04 साल से चल रहे विवाद को सुलझाया गया व पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को राजी हुए, साथ ही उप निरीक्षक सीताराम द्वारा उभय पक्षों को परिवार के महत्व को समझाया गया। जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी आपसी मन मुटाव भूल कर एक साथ रहने को तैयार हो गए साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक साथ मिल जुल कर रहने व आपस में लड़ाई झगड़ा न करने का वचन भी लिया गया। एक बिखरते हुए परिवार को कटराबाजार पुलिस की सार्थक मदद से बचाया गया। पति-पत्नी एक साथ हंसी-खुशी जीवन यापन करने हेतु राजी हो गए। पुलिस के इस कार्य की आम जनमानस में काफी प्रंशसा की जा रही है।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 26.11.2023

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त विकास कुमार मौर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने जमीनी विवाद के चलते जानलेवा हमला करते हुए वादिनी मंजू तिवारी व उसके परिजनों को मारा पीटा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विकास कुमार मौर्या पुत्र विजय कुमार मौर्या नि0 तुल्ला मुरावन पुरवा परेड सरकार पथवलिया थाना को नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-987/23, धारा 323,504,506,307 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 सुरेशमणि मिश्रा मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 26.11.2023

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देष के अनुक्रम में आज दिनांक 26.11.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त राहुल कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दहेज हत्या कारित की थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल कुमार वर्मा पुत्र नंद कुमार नि0 कारियापुरवा मौजा अहिरौलीया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-541/23, धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 शशि भूषण सिंह मय टीम।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिए गए थे निर्देश–

पुलिस अधीक्षक ने धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरूद्ध चले अभियान का लिया जायजा–

थाना प्रभारियों द्वारा धर्मगुरूओं व संभ्रांत व्यक्तियों से परस्पर बातचीत कर मंदिरों/मस्जिदों व सार्वजनिक स्थानों में लगे आवश्यकता से अधिक लाउडस्पीकरों को हटवाया–

गोण्डा। शासन की मंशा के अनुरूप दिनांक 27.11.2023 को प्रातः 5:00 बजे से 7:00 बजे तक धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए थे जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 27.11.2023 को थाना प्रभारियों द्वारा धर्मगुरूओं व संभ्रान्त व्यक्तियों से परस्पर बातचीत कर मंदिर/मस्जिद व सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यकता से अधिक लगे लाउडस्पीकरों को हटवाया गया तथा लगे हुए लाउडस्पीकरों को मानक के अनुसार बजाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा आज प्रातः धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरूद्ध चल रहे अभियान का शहर क्षेत्र में भ्रमण कर जायजा लिया गया तथा धर्मगुरूओं व संभ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।